भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
BHARAT ELECTRONICS LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)
पंजीकृत व कारपोरेट कार्यालय - आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूर - 560 045
Registered & Corporate Office: Outer Ring Road, Nagavara, Bangalore - 560 045

सूचना / N O T I C E

प्रति

सभी शेयरधारक

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरधारकों की अंठावनवीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, दिनांक 21 सितंबर, 2012 को अपराह्न 2 बजे बीईएल राष्ट्रकवि कुवेम्पु कलाक्षेत्र (बीईएल पीयू महाविद्यालय के सामने, बीईएल अस्पताल और बीईएल कारखाने के पास), जालहल्ली, बेंगलूर - 560 013 में निम्नलिखित कारोबार संचालित करने हेतु आयोजित की जाएगी:

सामान्य कारोबार

1. 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि का विवरण लेखा एवं यथा उस तिथि को तुलन पत्र और उसमें निदेशकों व लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों को प्राप्त करने, उस पर विचार करने और उसे अपनाने हेतु ।
2. अंतरिम लाभांश संपुष्ट करने हेतु तथा साम्या शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करने हेतु ।
3. श्री एन सीताराम, जो चक्रानुक्रम से निवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण वे स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने हेतु ।
4. प्रो अनुराग कुमार, जो चक्रानुक्रम से निवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने हेतु।
5. डॉ सत्यनारायण दाश, जो चक्रानुक्रम से निवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने हेतु ।
6. प्रो आर वेंकट रॉव, जो चक्रानुक्रम से निवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने हेतु ।

विशेष कारोबार

सामान्य संकल्प

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

   "**संकल्प किया गया कि** ले जन एस पी कोचर, अविसेमे (दो बार), सेमे, विसेमे, एडीसी, जिन्हें 28 अक्तूबर, 2011 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने

TO

ALL SHAREHOLDERS

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the fifty eighth Annual General Meeting of the Shareholders of Bharat Electronics Limited will be held on Friday, the 21 September 2012, at 2 pm at BEL Rashtrakavi Kuvempu Kalakshetra (Opposite BEL PU College, near BEL Hospital and BEL Factory), Jalahalli, Bangalore - 560 013, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Statement of Profit & Loss for the year ended 31 March 2012 and the Balance Sheet as at that date and the Reports of the Directors and the Auditors thereon.
2. To confirm the Interim Dividend and declare Final Dividend on Equity Shares.
3. To appoint a Director in place of Mr. N Sitaram, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
4. To appoint a Director in place of Prof. Anurag Kumar, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
5. To appoint a Director in place of Dr. Satyanarayana Dash, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
6. To appoint a Director in place of Prof. R Venkata Rao, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

ORDINARY RESOLUTION

7. To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as Ordinary Resolution:

   "**RESOLVED THAT** Lt. Gen. S P Kochhar, Bar to AVSM, SM, VSM, ADC, who was appointed as Additional Director by the Board of Directors of the Company in its meeting held on

के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी नियुक्ति के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के तहत एक सदस्य से निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखते हुए सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा किया जाता है जिनका कार्यकाल चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति द्वारा निर्धारित होगा ।"

विशेष संकल्प

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 31 और उसके कोई अन्य लागू प्रावधानों के तारतम्य में, कंपनी के अंतर्नियमों में निम्नलिखित ढंग से सुधार किया जाए एवं एतद्द्वारा सुधार किया जाता है -

(i) अनुच्छेद 6 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद 6 क को शामिल करते हुए -

अनुच्छेद 6 क - शेयरों की पुन:खरीद - कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77 क, 77 कक, 77 ख के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों की शर्त पर, कंपनी केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, अपने खुद के शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की पुन:खरीद कर सकती है ।"

मंडल के आदेशानुसार
कृते **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड**

बेंगलूर
17 अगस्त 2012

सी आर प्रकाश
कंपनी सचिव

28 October, 2011, to hold office upto the date of this Annual General Meeting and for the appointment of whom the Company has received a notice under Section 257 of the Companies Act, 1956 from a member proposing his candidacy for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company whose period of office shall be liable to determination by retirement by rotation."

SPECIAL RESOLUTION

8. To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Section 31 and any other applicable provisions of the Companies Act, 1956, the Articles of Association of the Company be and are hereby amended in the following manner:

(i) by inserting the following Article 6A after Article 6:

Article 6A : Buy-back of shares - The Company may buy-back its own shares or other securities as may be notified by the Central Government, subject to the provisions of Sections 77A, 77AA, 77B and other applicable provisions of the Companies Act, 1956".

By order of the Board
For **Bharat Electronics Limited**

Bangalore
17 August 2012

C R Prakash
Company Secretary

वार्षिक सामान्य बैठक के स्थल के लिए
बीएमटीसी बस संबंधी विवरण

मैजेस्टिक से	-	271 सीरीज़, 273 सीरीज़ और 274
शिवाजीनगर से	-	270 और 272
मार्केट से	-	275 सीरीज़, **(स्टेट बैंक स्टॉप पर उतरें)**
मैजेस्टिक से	-	276 (बीईएल अस्पताल स्टॉप पर उतरें)

BMTC BUS TO AGM VENUE

From

Majestic	-	271 series, 273 series & 274
Shivajinagar	-	270 & 272
Market	-	275 series **(Alight at State Bank Stop)**

From

Majestic	-	276 **(Alight at BEL Hospital Stop)**

टिप्पणी

1. यथा उपरोक्त विशिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 173(2) के तारतम्य में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण यहाँ संलग्न है और इस सूचना का भाग है ।

2. वार्षिक सामान्य बैठक ("बैठक") में सम्मिलित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य उनकी ओर से सम्मिलित होने और मतदान करने के लिए परोक्षी नियुक्त करने के हकदार हैं और परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है । बहरहाल, परोक्षी को नियुक्त करने के विलेख को बैठक के प्रारंभ होने से पहले, किंतु 48 घण्टों से पहले नहीं, विधिवत् पूर्ण रूप से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

3. बैठक में सम्मिलित होने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजने का आशय रखने वाले कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में उनकी ओर से भाग लेने और मतदान करने हेतु अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति कंपनी को भेजें ।

4. भारत सरकार की हरित पहल के भाग के रूप में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने परिपत्र सं. 17/2011 तथा 18/2011 क्रमशः दिनांक 21 अप्रैल, 2011 तथा 29 अप्रैल, 2011 के माध्यम से, तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरण, लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन, निदेशकों का प्रतिवेदन, व्याख्यात्मक विवरण तथा अन्य दस्तावेजों के साथ वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा प्रेषित करने की अनुमति कंपनियों को दी है ।

   इससे पहले सभी शेयरधारकों को यह सूचित किया गया था कि एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में कंपनी एमसीए द्वारा किए गए हरित पहल को आगे बढ़ाते हुए अपने शेयरधारकों को उनके संबंधित डिमैट खातों में उनके द्वारा दिए गए तथा निक्षेपकर्ताओं द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराए गए ईमेल पतों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के ज़रिए वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना और अन्य दस्तावेज भेजेगी । अतः वार्षिक सामान्य बैठक की यह सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेद न सहित अन्य दस्तावेजों को ईमेल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे शेयरधारकों को भेजा जा रहा है जिन्होंने अपने डीमैट खातों में ईमेल का पता दिया है ।

   बहरहाल, कृपया नोट करें कि कंपनी के सदस्य के रूप में आपकी ओर से आवश्यकता प्राप्त करने पर, आप लाभ व हानि का विवरण और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित कंपनी के तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य सभी दस्तावेजों की हार्ड प्रति निःशुल्क प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे ।

   यदि आप ऊपर उल्लिखित दस्तावेज भौतिक रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कंपनी के पंजीयक, मे. इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज़ेस (इंडिया) लि. को अपने डीमैट खाते के ब्यौरे विधिवत् देते हुए यथाशीघ्र सूचित करें । वैकल्पिक रूप से, अपने डीमैट खाते के ब्यौरे को विधिवत् उद्धत् करते हुए अपने अनुरोध को ईमेल आईडी bel@iepindia.com पर ईमेल द्वारा भेज सकते हैं ।

   एमसीए द्वारा उसके उपरोक्त परिपत्रों में यथा निर्देशित, कंपनी इन दस्तावेजों को शेयरधारकों के अवलोकनार्थ एवं उनके द्वारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट यानि http://www.bel-india.com

NOTES

1. Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 173(2) of the Companies Act, 1956 (the Act), in respect of Special Business as set out above is annexed hereto and forms part of the Notice.

2. A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (the "meeting") is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing a proxy should, however, be deposited at the Registered Office of the Company duly completed, not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

3. Corporate members intending to send their authorised representatives to attend the Meeting are requested to send to the Company a certified copy of the Board Resolution authorising their representative to attend and vote on their behalf at the Meeting.

4. As part of Government of India's Green Initiatives, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circular Nos. 17/2011 and 18/2011 dated 21 April, 2011 and 29 April, 2011 respectively, has permitted companies to dispatch Notice of AGM with Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, Auditors' Report, Directors' Report, Explanatory Statement and other documents through electronic mail.

   It was communicated to all the Shareholders earlier that the Company, as a responsible corporate citizen, in furtherance of the Green initiatives taken by MCA, will be sending the Notice of AGM and other documents to its shareholders through electronic mode to the email address furnished by the shareholders in their respective Demat Accounts and made available to the Company by the Depositories. Hence, this Notice of AGM and other documents including the Annual Report are being sent in electronic mode by email to those shareholders who have furnished their email address in their demat accounts.

   However, please note that you will be entitled to be furnished free of cost with a hard copy of Balance Sheet of the Company and all attachments thereto, including the Statement of Profit and Loss and Auditors' Report, upon receipt of a requisition from you, as a member of the Company.

   If you wish to receive the above mentioned documents in physical form, please give the intimation to the Company's Registrars, M/s. Integrated Enterprises (India) Ltd., at the earliest, duly quoting your Demat A/c details. Alternatively, the request, duly quoting your Demat A/c details, may be sent by email at email ID : bel@iepindia.com

   As directed by MCA vide its above circulars, the Company would also make available these documents on the Company's website viz., http://www.bel-india.com for perusal and download by

पर भी उपलब्ध कराएगी । साथ ही, वार्षिक प्रतिवेदन की भौतिक प्रतियाँ कार्य घण्टों के दौरान निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध होंगी ।

हम सरकार द्वारा की गई इस पहल के प्रति आपके सहयोग और समर्थन की अपेक्षा करते हैं जिससे हमारी पृथ्वी को हरा-भरा और शीतल रखने में मदद मिलेगी ।

5. साम्या शेयरों पर लाभांश, यदि बैठक में घोषित किया जाए, के लिए पात्र सदस्यों के नामों को निर्धारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण बही को दिनांक 11/09/2012 से 21/09/2012 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रखा जाएगा ।

6. वर्ष 2011-12 हेतु अंतिम लाभांश, यदि बैठक में घोषित हो, घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों को प्रदेय होगा जिनके नाम यथा 10 सितंबर, 2012 को कंपनी के सदस्यों की पंजी में प्रकट होते हैं ।

   कंपनी जहाँ कहीं संभव हो, लाभांश भुगतान ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवाएँ) द्वारा तथा अन्य मामलों में लाभांश वारंट / बैंक मांग पत्र द्वारा करेगी । इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में, लाभांश का भुगतान यथा 10 सितंबर, 2012 को कारोबारी घण्टों की समाप्ति पर इस प्रयोजन हेतु निक्षेपकर्ताओं (एन एस डी एल तथा सी डी एस एल) द्वारा दिए गए हिताधिकारी स्वामित्व ब्यौरों के आधार पर किया जाएगा । इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य नोट करें कि उनके संबंधित निक्षेपागार खातों के समक्ष दर्ज बैंक विवरणों का प्रयोग कंपनी द्वारा लाभांश के भुगतान हेतु किया जाएगा । कंपनी या इसके पंजीयक बैंक संबंधी विवरणों या बैंक आज्ञा में किसी परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तनों को सदस्यों के निक्षेपागार सहभागी को ही सूचित किया जाना है। जिन सदस्यों ने निक्षेपागार खाता खोलने के बाद अपना बैंक खाता परिवर्तित किया है और निक्षेपागार खाता खोलते समय विनिर्दिष्ट खाते के अलावा खाते में लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि वे 07 सितंबर, 2012 से पहले अपने निक्षेपागार सहभागी से अपना बैंक खाते के ब्यौरे (नौ अंकों के बैंक कूट सहित) में परिवर्तन / सुधार कर लें ।

7. अधिनियम की धारा 205 ए (5) के तहत कंपनियों के लिए अदत्त लाभांश खाते में कंपनियों द्वारा अंतरित ऐसी राशि जो सात वर्षों की अवधि तक दावा न की गई / अदत्त रहती है, को अधिनियम की धारा 205 सी के तहत सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा व संरक्षा कोष (कोष) में अंतरित करना आवश्यक बनता है । इस अधिनियम की धारा 205 सी के अनुसार, कोष को इस प्रकार अंतरित अलग-अलग राशियों के संबंध में कोष या कंपनी के समक्ष कोई दावे नहीं होने चाहिए तथा ऐसे किसी भी दावे के संबंध में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। वर्ष 2011-12 के दौरान, कंपनी ने अदत्त लाभांश खाते से ₹ 125,706/- की राशि को कोष में अंतरित किया है (2003-04 के अंतिम लाभांश का ₹ 87,670 और वर्ष 2004-05 के अंतरिम लाभांश का ₹ 38,036)। वर्ष 2004-2005 के लिए दावा न किए गए / अदत्त लाभांश और वर्ष 2005-06 के लिए अंतरिम लाभांश वर्ष 2012-13 में निधि में अंतरित करने हेतु नियत है । इसे कार्यान्वित करने और राशि प्राप्त करने के लिए

the shareholders. Also, the physical copies of Annual Report would be available at the Registered Office of the Company for inspection during office hours.

We look forward for your kind co-operation and support to the initiative undertaken by the Government which would help in keeping our Planet Earth Green and Cool.

5. The Company's Register of Members and Share Transfer Books will be closed from 11/09/2012 to 21/09/2012 (both days inclusive) for determining the names of members eligible for dividend on Equity shares, if declared at the Meeting.

6. The Final Dividend for the year 2011-12, if declared at the Meeting, will be payable within 30 days from the date of declaration, to those members whose names shall appear on the Company's Register of Members as on 10 September 2012.

   Company will be making the dividend payment by ECS (Electronic Clearing Services), wherever possible and by dividend warrant / Bank demand drafts in other cases. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership details furnished by the Depositories (NSDL & CDSL), as at the close of business hours on 10 September, 2012, for this purpose. Members holding shares in electronic form may note that bank particulars registered against their respective depository accounts will be used by the Company for payment of dividend. The Company or its Registrars cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandate. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. Members who have changed their bank account after opening the Depository Account and want to receive dividend in an account other than the one specified while opening the Depository Account, are requested to change / correct their bank account details (including the nine digit bank code) with their Depository Participant, before 7 September 2012.

7. Under Section 205A(5) of the Act, companies are required to transfer to the Investor Education and Protection Fund (the Fund) established by the Government under Section 205C of the Act the money transferred by the companies to the Unpaid Dividend Account and which remain unclaimed / unpaid for a period of seven years. As per Section 205C of the Act no claims shall lay against the Fund or the Company in respect of individual amounts thus transferred to the Fund and no payment shall be made in respect of any such claims. During the year 2011-12, the Company transferred to the Fund an amount of ₹ 125,706 from the Unpaid Dividend Account (₹ 87,670 of final dividend 2003-04, and ₹ 38,036 of interim dividend 2004-05). The unclaimed / unpaid final dividend for the year 2004-05 and interim dividend for the year 2005-06 are due for transfer to the Fund in 2012-13. Notices to this effect have been sent to the respective

संबंधित शेयरधारकों को सूचाएँ भेज दी गई हैं । कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.bel-india.com में "निवेशकों के लिए सूचना" नामक एक पृथक पृष्ठ में 2003-2004 से लेकर अब तक के लाभांश भुगतान के ब्यौरे तथा अदत्त लाभांश का दावा करने की मार्गदर्शी सूचना लगाई है । सदस्यों से निवेदन है कि वे अदत्त / दावा न किए गए लाभांश का दावा करने के लिए इसमें दिए गए फार्म का प्रयोग करें ।

8. कंपनी के लेखों के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न, लिखित में, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भेजें ताकि वे बैठक से कम से कम 7 दिनों पहले पहुँच जाएँ और अपेक्षित सूचना बैठक में उपलब्ध हो सके ।

9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक प्रतिवेदन और सूचना की अपनी प्रतियाँ बैठक में साथ लेकर आएँ ।

10. बैठक में सम्मिलित हो रहे सदस्यों / परोक्षियों से अनुरोध है कि वे संलग्न उपस्थिति पर्ची भरकर उसे बैठक के प्रवेश स्थल पर सुपुर्द करें ।

11. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, केवल ऐसे संयुक्त धारक जिनका नाम नामों के क्रम में ऊपर होगा, मतदान करने के हकदार होंगे ।

12. शेयरों को भौतिक रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में हुए किसी भी परिवर्तन के बारे में कंपनी के पंजीयक व अंतरण एजेन्ट मेसर्स इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज़ेस (इंडिया) लि., 30, रमणा रेसिडेन्सी, भूतल, 4था क्रास, सम्पिंगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूर-560003, दूरभाष 080-23460815-18, फैक्स 080-23460819 को लिखित सूचना भेजते हुए तुरंत सूचित करें । शेयरों को डीमैट रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित निक्षेपागार सहभागियों से संपर्क करें जिनके साथ उन्होंने डीमैट खाता खोला है और पते में हुए परिवर्तन को दर्ज करा लें ।

13. जो शेयरधारक अब तक शेयरों को भौतिक रूप में धारित करते हैं उहें यह परामर्श दिया जाता है कि वे शेयर प्रमाण-पत्रों के खो जाने/गलत स्थान पर रखे जाने/चोरी/जालसाज़ी से पैदा होने वाली परेशानियों से बचने के लिए अपने हित में शेयरों को डीमैट करा लें । कंपनी ने शेयरधारकों को बी ई एल के शेयरों को डीमैट कराने हेतु दोनों निक्षेपागारों अर्थात् एन एस डी एल और सी डी एस एल के साथ करार किए हैं । सदस्य इस संबंध में कृपया पंजीयक व अंतरण एजेट, मेसर्स इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज़ेस (इंडिया) लि. से संपर्क करें ।

सूचना का संलग्नक

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के तारतम्य में व्याख्यात्मक विवरण ।

मद सं. 7 के संबंध में

चूँकि आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसके मंडल के निदेशक भारत सरकार (सरकार) द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । सरकार ने दिनांक 27.09.2011 को ले जन एस पी कोचर, अविसेमे (दो बार), से मे, वि से मे, एडीसी, सिग्नल अफ़सर-इन-चीफ़ तथा

shareholders to enable them to claim and receive the amount. Company has posted on its website www.bel-india.com in a separate page titled "Information for Investors" the details of dividend payment since 2003-04 onwards and guidance information for claiming unpaid dividend. Members are requested to make use of the claim form provided therein to claim unpaid/unclaimed dividend.

8. Members desirous of getting any information in respect of Accounts of the Company are requested to send their queries, in writing, to the Company at the Registered Office so as to reach at least 7 days before the meeting so that the required information can be made available at the meeting.

9. Members are requested to bring their copies of the Annual Report and the Notice to the meeting.

10. Members/Proxies attending the meeting are requested to complete the enclosed Attendance Slip and deliver the same at the entrance of the meeting venue.

11. In case of joint holders attending the Meeting, only such joint holder who is higher in the order of names will be entitled to vote.

12. Members holding shares in physical form are requested to notify to the Company's Registrars and Transfer Agent, M/s Integrated Enterprises (India) Ltd., 30, Ramana Residency, Ground Floor, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bangalore-560003, Tel. 080-23460815-18, Fax: 080-23460819 immediately any change in their address, by sending a written communication. Members who are holding shares in demat form are requested to contact the respective Depository Participants with whom they have opened the Demat Account and get the change of address recorded.

13. Members still holding shares in physical form are advised to dematerialise the shares in their own interest to avoid difficulties arising from loss/misplacement/theft/forgery of share certificates. Company has entered into agreements with both the depositories, viz. NSDL and CDSL to enable the shareholders to dematerialise BEL shares. Members may please contact the Registrar and Transfer Agent, M/s Integrated Enterprises (India) Ltd., in this connection.

ANNEXURE TO THE NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 173(2) OF THE COMPANIES ACT, 1956.

In respect of Item No. 7

Your Company being a Government Company, the Directors on the Board are appointed by the Government of India (Government). Government has on 27.9.2011 appointed Lt. Gen. S P Kochhar,

वरिष्ठ कर्नल कमांडेट, सिगल कोर, सेना मुख्यालय को कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त किया है ।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 260 तथा कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 71 सी के तारतम्य में निदेशक मंडल ने दिनांक 28.10.2011 को हुई बैठक में ले जन एस पी कोचर को अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक पदधारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है ।

तत्पश्चात, कंपनी ने अधिनियम की धारा 257 के तहत ले जन एस पी कोचर को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव करने के आशय को स्पष्ट करते हुए एक सदस्य से लिखित में एक सूचना प्राप्त की है और इस सूचना के साथ ₹ 500/- की राशि प्राप्त की है ।

स्टाक एक्सचेंजों के सूचीकरण करार के अनुसार शेयरधारकों को अग्रेषित किए जाने हेतु आवश्यक ब्यौरे सहित उपरोक्त नए निदेशक का संक्षिप्त जीवन-वृत्त संलग्न है । आपके निदेशक महसूस करते हैं ले जन एस पी कोचर के ज्ञान तथा समृद्ध अनुभव से कंपनी को प्रचुर लाभ होगा और तदनुसार सूचना की मद सं. 7 में प्रस्तावित संकल्प पारित करने की संस्तुति करते हैं ।

ले जन एस पी कोचर को छोड़कर कोई भी निदेशक मद सं. 7 में दिए गए संकल्प में किसी भी प्रकार से संबद्ध या इच्छुक नहीं है ।

मद सं. 8 के संबंध में

कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराएँ 77 क, 77 कक और 77 ख किसी भी कंपनी को यह अनुमत करती है कि इन धाराओं में विनिर्दिष्ट शर्तों पर वह अपने मुक्त प्रारक्षणों या प्रतिभूति प्रीमियम खाते से अपने खुद के शेयरों (वहाँ यह "पुनःखरीद" के रूप में संदर्भित है) अथवा किसी शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के आगम को खरीद सकती है । इनमें विनिर्दिष्ट एक शर्त यह है कि ऐसी पुनःखरीद कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा प्राधिकृत होना है । कंपनी (बीईएल) के अंतर्नियम, जैसे विद्यमान हैं, में अपने शेयरों की पुनःखरीद करने के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है ।

बीईएल रक्षा मंत्रालय के अधीन एक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है । एक सीपीएसई के रूप में, बीईएल भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों द्वारा बाध्य है । डीपीई ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई/14(24)/2011-वित्त दिनांक 26 मार्च, 2012 द्वारा सीपीएसई के शेयरों की पुनःखरीद को प्रोत्साहित करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके पहले चरण के रूप में सीपीएसई के लिए यह आवश्यक बन जाता है कि शेयरों की पुनःखरीद के लिए अंतर्नियमों को संशोधित करे ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित है कि कंपनी विशेष संकल्प में दर्शित विधि के अनुसार कंपनी के अंतर्नियमों में संशोधन करे ताकि वह जब और जैसे उपयुक्त समझे, अपने शेयरों की पुनःखरीद कर सके ।

आपके निदेशक इस संकल्प को पारित करने की सिफारिश करते हैं । कोई भी निदेशक इस संकल्प में किसी भी रूप से संबद्ध या इच्छुक नहीं है ।

Bar to AVSM, SM, VSM, ADC, Signal Officer-in-Chief and Senior Colonel Commandant, Corps of Signals, Army Headquarters on the Board of Directors of the Company.

Pursuant to Section 260 of the Companies Act, 1956 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors at Board meeting held on 28-10-2011 appointed Lt. Gen. S P Kochhar as Additional Director to hold office upto the date of the next Annual General Meeting.

Subsequently, the Company has received a notice in writing under Section 257 of the Act from a member signifying his intention to propose the appointment of Lt. Gen. S P Kochhar as Director of the Company and a deposit of ₹ 500/- has been received along with notice.

Brief resume of the above new director including the details required to be forwarded to the Shareholders as per Listing Agreement with Stock Exchanges, enclosed. Your Directors feel that the Company would immensely benefit from the knowledge and rich experience possessed by Lt. Gen. S P Kochhar and accordingly recommend the passing of the resolution proposed at item No. 7 of the Notice.

No Director other than the Lt. Gen. S P Kochhar is in any way concerned or interested in the resolution set out at Item No. 7.

In respect of Item No. 8

Sections 77A, 77AA and 77B of the Companies Act, 1956 permit a Company to purchase its own shares (referred to therein as "buy-back") out of its free reserves or the securities premium account or the proceeds of any shares or other specified securities, subject to the conditions specified in those Sections. One of the conditions specified therein is that the buy-back must be authorised by the Articles of Association of the Company. The Articles of Association of the Company (BEL) as it exists do not contain any provision enabling it to buy-back its shares.

BEL is a Central Public Sector Enterprise (CPSE) under the Ministry of Defence. Being a CPSE, BEL is bound by the various guidelines issued from to time by the Department of Public Enterprises (DPE) of the Government of India. DPE has vide OM No. DPE/14(24)/2011-Fin. dated 26 March 2012 issued guidelines to encourage buy-back of shares by CPSEs, which as a first step requires the CPSEs to amend their Articles of Association to provide for buy-back of shares.

In view of the above, it is proposed to amend the Articles of Association of the Company in the manner indicated in the Special Resolution to enable the Company to buy-back its shares as and when it is fit to do so.

Your Directors recommend the passing of this resolution. No Director is in any way concerned or interested in this resolution.

पुनःनियुक्त/नियुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त जीवन-वृत्त

पुनःनियुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित निदेशकगण

श्री एन सीताराम जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के पूर्व मुख्य नियंत्रक (अनु व वि) हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलूर से बी ई डिग्री तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपूर से एम टेक डिग्री धारक हैं । उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में सैन्य संचार एवं सूचना प्रणालियाँ हैं । डीआरडीओ के साथ अपने 40 वर्षों के लंबे सहकार के दौरान, विशिष्ट वैज्ञानिक तथा अनुसंधान एवं विकास के मुख्य नियंत्रक (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर विज्ञान) के रूप में पदोन्नत होने से पहले उन्होंने रोबोटिक्स एवं आसूचना प्रणाली संस्थान (आईआरआईएस), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रेडार विकास संस्थापना (एलआरडीई, संचार प्रभाग) तथा एआई एवं रोबोटिक्स केन्द्र (सीएआईआर) जैसी रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं का नेतृत्व किया । सीसीआर एवं डी के रूप में, उनके पास डीआरडीओ की 11 अनु व वि प्रयोगशालाओं का अधिकार-क्षेत्र था । वे संयुक्त साइफर ब्यूरो (जेसीबी) के मुख्य समन्वयक, एकीकृत सर्किट प्रौद्योगिकी एवं व्यावहारिक अनुसंधान सोसाइटी (सितार) के शासी परिषद के अध्यक्ष तथा भारत सरकार की साइफर नीति समिति के सह-अध्यक्ष भी रहे । उन्होंने रेडार, संचार, इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति, सूचना प्रणालियाँ, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल साधित्रों / उपकरणों, सूक्ष्मतरंग ट्यूबों आदि सहित अनेक विषय-क्षेत्रों की व्यापक श्रृंखला में प्रमुख प्रणाली विकास परियोजनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास कार्यकलापों को संचालित किया । श्री एन सीताराम किसी अन्य कंपनी के मंडल में नहीं हैं । वे बीईएल में कोई शेयर धारित नहीं करते ।

प्रो अनुराग कुमार भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर में वैद्युत संचार अभियांत्रिकी विभाग में प्रोफेसर तथा वैद्युत विज्ञान प्रभाग के अध्यक्ष हैं । वे बी टेक और पीएच डी हैं और उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र "संचार नेटवर्क" है । वे भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर में 1998 से वैद्युत संचार अभियांत्रिकी विभाग में संकाय सदस्य हैं और उन्होंने सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसे विभिन्न पदों को धारित किया है । वे 2004-2007 के दौरान वैद्युत एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग के अध्यक्ष तथा 2000-2003 के दौरान सह अध्यक्ष भी रह चुके हैं । मई से नवंबर 1996 के दौरान वे बेतार सूचना नेटवर्क प्रयोगशाला, रुटजर्स विश्वविद्यालय, यूएसए में अतिथि अनुसंधान स्कॉलर थे । 1981-1988 के दौरान वे कार्य-निष्पादन विश्लेषण विभाग, एटी एंड टी बेल लेबोरेटरीज़, यूएसए में सदस्य, तकनीकी स्टाफ थे । उन्होंने 2 पुस्तकें, 52 जर्नल पत्र प्रकाशित की हैं और 99 सम्मेलन कार्यवाही पत्रों को संदर्भित किया है । प्रो. अनुराग कुमार किसी अन्य कंपनी के मंडल में नहीं हैं । वे बीईएल में कोई शेयर धारित नहीं करते ।

डॉ सत्यनारायण दाश, पूर्व प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जो भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में भारी उद्योग विभाग के सचिव के रूप में मार्च , 2010 को सेवानिवृत्त हुए थे । वे वर्तमान में सदस्य (प्रशासनिक), उड़ीसा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, भुवनेश्वर, उड़ीसा हैं । उनकी शैक्षिक योग्यताओं में शामिल हैं- एम.एससी (भौतिकी), दिल्ली विश्वविद्यालय, एम.ए. (अर्थशास्त्र), केरल विश्वविद्यालय, पीएच.डी (अर्थशास्त्र), बोस्टन विश्वविद्यालय, यूएसए तथा प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से एमबीए । भारत सरकार में उनके द्वारा धारित पदों में शामिल हैं - सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, र मं, प्रधान सलाहकार, योजना आयोग, सदस्य (वित्त), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा संयुक्त सचिव / अपर सचिव, स्टील

BRIEF RESUME OF DIRECTORS PROPOSED TO BE REAPPOINTED/APPOINTED

DIRECTORS PROPOSED TO BE REAPPOINTED

Mr. N. Sitaram, former Chief Controller (R&D), Defence Research & Development Organisation (DRDO), has a B.E., degree from Indian Institute of Science (IISc), Bangalore and a M.Tech. degree from Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur. His area of specialisation is Military Communication & Information Systems. During his 40 years long association with DRDO, he headed Defence Research laboratories such as Institute for Robotics & Intelligent Systems (IRIS), Electronics & Radar Development Establishment (LRDE, Communication Division) and Centre for AI & Robotics (CAIR), before being elevated as Distinguished Scientist & Chief Controller of Research & Development (Electronics & Computer Science). As CCR&D he had jurisdiction over as many as 11 R&D labs of DRDO. He was also Chief Co-ordinator for Joint Cipher Bureau (JCB), Chairman of the Governing Council for Society for integrated Circuit Technology and Applied Research (SITAR) and Co-chairman of Cipher Policy Committee of Government of India. He steered major systems development projects and technology development activities in a wide range of disciplines, including Radar, Communication, Electronic Warfare, Information Systems, Electro-optical Devices/Instruments, Microwave Tubes, etc., Mr. N Sitaram is not on the Board of any other Company. He does not hold any shares in BEL.

Prof. Anurag Kumar is a Professor in the Dept. of Electrical Communication Engg., and Chairman, Division of Electrical Sciences at the Indian Institute of Science, Bangalore. He is B.Tech. & Ph.D., and his area of specialisation is "Communication Network". He has been a faculty member in the Dept. of Electrical Communication Engineering of the Indian Institute of Science, Bangalore since 1998 and held various positions such as Asst. Professor, Associate Professor and Professor. He has also been the Chairman of Dept. of Electrical and Communication Engineering during 2004-2007 and Associate Chairman during 2000-2003. During May 1996-November 1996 he was Visiting Research Scholar, Wireless Information Network Lab, Rutgers University, USA. During 1981-1988 he was a Member of Technical Staff, Performance Analysis Dept., AT&T Bell Laboratories, USA. He has published 2 books, 52 journal papers and referred 99 conference proceedings papers. Prof. Anurag Kumar is not on the Board of any other Company. He does not hold any shares in BEL.

Dr. Satyanarayana Dash, is a former Indian Administrative Service Official retired in March, 2010 as Secretary Department of Heavy Industry in the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. He is presently Member (Administrative), Odisha Administrative Tribunal at Bhubaneswar, Odisha. His academic qualifications include M.Sc., (Physics) Delhi University, M.A. (Economics), University of Kerala, Ph.D., (Economics), Boston University, USA and Post Graduate diplomas in Management, Human Resources Management and MBA from IGNOU. The positions held by him in the Government of India includes: Secretary, Department of Ex-servicemen Welfare, MoD, Principal Advisor, Planning Commission, Member (Finance), National Highway

मंत्रालय । केरल सरकार में, उन्होंने गृह एवं सतर्कता, वित्त, उद्योग एवं वाणिज्य, समाज कल्याण एवं परिवहन, उत्पाद शुल्क, निगमित योजना आदि जैसे विभिन्न विभागों में उच्चतर पद धारित किए हैं । अपनी पीएच. डी. करते समय उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय, यूएसए के अर्थशास्त्र विभाग में कुछ समय तक शिक्षण एवं अनुसंधान का भी कार्य किया । डॉ एस एन दाश किसी अन्य कंपनी के मंडल में नहीं हैं । वे बीईएल में कोई शेयर धारित नहीं करते ।

प्रो. रामभट्ला वेंकट रॉव, कुलपति, भारतीय राष्ट्रीय विधि विद्यालय विश्वविद्यालय एम ए, एम एल और पीएचडी हैं और उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में हैं - मानवाधिकार एवं मानवीय कानून, आपराधिक कानून, विधि-शास्त्र एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून । उन्हें 30 वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षण, अनुसंधान एवं पीएचडी के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने सहित 32 वर्षों का शिक्षण अनुभव है । विगत में उनके द्वारा धारित अन्य पदों में शामिल हैं - डीन, संकाय सदस्य, आंध्र विश्वविद्यालय, प्रधान, विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टणम, उपाध्यक्ष, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय, नई दिल्ली, नामित सदस्य, शैक्षिक समिति, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली, चयनित सदस्य, शासी परिषद, भारतीय विधि संस्थान, शासी परिषद, 2009-2012 तक, तीन वर्षों के लिए भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के शासी परिषद के लिए नामित, वर्ष 2010-2011 के लिए शासी मंडल, एशिय न विधि संस्थान (एएसएलआई) के अध्यक्ष के रूप में चयनित, आदि । उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित जर्नलों में 100 से अधिक पत्र प्रकाशित किए हैं और 90 राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में पत्र प्रस्तुत किए हैं । प्रो. आर. वेंकट रॉव हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि. और गोवा शिपयार्ड्स लि. के निदेशक मंडल के भी सदस्य हैं । वे गोवा शिपयार्ड्स लि. की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य भी हैं । वे बीईएल में कोई शेयर धारित नहीं करते ।

नियुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित निदेशक

ले जन एस पी कोचर, अ वि से मे (दो बार), से मे, वि से मे, एडीसी, वर्तमान में भारतीय सेना के सिग्नल कोर में सिग्नल अफ़सर-इन-चीफ़ और वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट हैं । आप दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक हैं, दो एम फिल उपाधियाँ, आईआईटी दिल्ली से एम टेक हैं, आईईटीई के फ़ेलो हैं और एआईएमए, आईईईई और सीएसआई के सदस्य हैं । जनरल अधिकारी ने प्रतिष्ठित एनडीसी पाठ्यक्रम, उच्चतर कमान, वरिष्ठ कमान, रेजिमेंटल कमांडर पाठ्यक्रम, कनिष्ठ कमान तकनीकी स्टाफ अधिकारी पाठ्यक्रम, प्रगत एडीपीएस और विभिन्न अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया है । आपने प्रबंध विकास संस्थान, गुड़गांव और रक्षा प्रबंध महाविद्यालय, सिकंदराबाद से प्रबंधन के गुर भी सीखे हैं । जनरल अधिकारी को कुछ पथ-प्रवर्तक पहलों का श्रेय प्राप्त है जैसे मरुभूमि में कन्वर्ज्ड सामरिक डेटा नेटवर्क, स्पार्सली हेल्ड लेगेसी उपस्कर का प्रयोग करते हुए पर्वतों में वीडियो काफरेंसिंग नेटवर्किंग, प्रोटोकाल कन्वर्टर, मल्टी आरएफ रेडियो, लेज़र रेडियो और डेटा वेयरहाउसिंग । आपने अनेक पत्रों को प्रकाशित किया है और हवाई में अंतर-प्रचालनीयता पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व भी किया है । सिग्नल अफ़सर-इन-चीफ़ के रूप में कार्यग्रहण करने से पहले, जनरल अधिकारी ने कार्मिक सेवाओं के अपर महानिदेशक का प्रतिष्ठित पद धारित किया है । आपके विशिष्ट सेवाओं तथा पथ-प्रवर्तक पहलों को मान्यता प्रदान करते हुए आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए । ले जन एस पी कोचर किसी अन्य कंपनी के मंडल में नहीं हैं । वे बीईएल में कोई शेयर धारित नहीं करते ।

Authority of India and Joint Secretary/Additional Secretary, Ministry of Steel. In the Government of Kerala, he had held higher positions in various Departments such as Home & Vigilance, Finance, Industries & Commerce, Social Welfare & Transport, Excise, Corporate Planning, etc. While doing his PhD he had a stint in teaching & research in the Dept. of Economics, Boston University, USA. Dr. S N Dash is not on the Board of any other Company. He does not hold any shares in BEL.

Prof. Rambhatla Venkata Rao, Vice Chancellor, National Law School of India University, is M A, M L and Ph.D., and his areas of specialisation are: Human Rights and Humanitarian Law, Criminal Law, Jurisprudence and International Law. He has 32 years of Teaching experience including 30 years Post Graduate Teaching, Research and guiding Ph.D., students. The other positions held by him in the past include: Dean, Faculty Law, Andhra University, Principal, University College of Law, Andhra University, Vishakhapatnam, Vice President, Indian Society of International Law, New Delhi, Nominated Member, Academic Committee, Indian Institute of Public Administration (IIPA), New Delhi, Elected Member, Governing Council, Indian Law Institute, been nominated to the Governing Council, Indian Law Institute, New Delhi for three years from 2009-2012, elected as the Chairman, Board of Governors, Asian Law Institute (ASLI) for the year 2010-2011, etc. He has published more than 100 papers in Journals of National and International repute and presented papers at 90 National/International Seminars. Prof. R Venkata Rao is also a member of the Board of Directors of Hindustan Aeronautics Ltd., and Goa Shipyards Ltd. He is also a member of the Audit Committee in Goa Shipyards Ltd. He does not hold any shares in BEL.

DIRECTORS PROPOSED TO BE APPOINTED

Lt. Gen. S P Kochhar, Bar to AVSM, SM, VSM, ADC, is presently the Signal Officer-in-Chief and Senior Colonel Commandant, Corps of Signals of Indian Army. He is a graduate from Delhi University, holds two M Phils, an M Tech. from IIT Delhi and is a fellow of IETE and member of AIMA, IEEE and CSI. The General Officer has successfully done the prestigious NDC Course, the higher Command, Senior Command, Regimental Commanders Course, Junior Command Technical Staff Officers Course, Advance ADPS and various other professional courses with aplomb. He has also had grounding in management from Management Development Institute, Gurgaon and College of Defence Management, Secunderabad. The General Officer has to his credit some path breaking initiatives like the converged tactical data networks in deserts, Video conferencing networking in the mountains using sparsely held legacy equipment, protocol convertors, Multi RF Radio, Laser Radio and data warehousing. He has published a number of papers and has also represented the country in International Conferences on interoperability at Hawaii. Prior to taking over as the SO-in-C, the General Officer held the coveted appointment of Additional Director General of Personnel Services. In recognition of his distinguished service and path breaking initiatives, he has been awarded the Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal and Vishisht Seva Medal by the President of India. Lt. Gen. S P Kochhar is not on the Board of any other Company. He does not hold any shares in BEL.

ANNUAL REPORT
2011-2012

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS

QUALITY. TECHNOLOGY. INNOVATION

Contents

Description	Page No.
Chairman's Letter	1
Corporate Vision, Mission, Values and Objectives	3
Board of Directors	4
Principal Executives, Bankers, Auditors	5
The Past Decade	6
Directors' Report	7
Statement pursuant to Section 212 of the Companies Act, 1956	18
Management Discussion and Analysis Report	21
Corporate Governance Report	30
Sustainability Report	41
Auditors' Report	44
Comments of the C&AG	48
Significant Accounting Policies	50
Balance Sheet	54
Statement of Profit and Loss	55
Notes to Accounts (1-31)	56
Cash Flow Statement	84
Auditors' Report on the Consolidated Financial Statements	85
Consolidated Financial Statements	86